अगिरत का The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 15] No. 15]

नई दिल्ली, जुलाई 15—जुलाई 21, 2012, शनिवार/आ**षाढ़ 24—आषाढ़ 3**0, 1934 NEW DELHI, JULY 15-JULY 21, 2012, SATURDAY/ASADHA 24-ASADHA 30, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृष्टक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग ॥—खण्ड ४ PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

> रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) (क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2012

का.नि.आ. 50.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी **आश्वा**सन महानिदेशालय, किनष्ठ तकनीकी अधिकारी समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2007, और रक्षा उत्पादन और पूर्ति त्रिभाग, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ग' तकनीकी पद, भर्ती नियम, 1999 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा उत्पादन विभाग (क्वालिटी आह्वासन महानिदेशालय) में सहायक इंजीनियर (क्वालिटी आश्वासन) और कनिष्ठ इंजीनियर (क्वालिटी आश्वासन) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए

- ा. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन जिनाग क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय समृह 'ख' पद [सहायक इंजीनियर (क्वालिटी आश्वासन) और कनिष्ठ इंजीनियर (क्वालिटी आश्वासन)] भर्ती नियम, 2012 है ।
 - (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. लागू होना.—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
- ः पद संख्या, **वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—**उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और उनका वेतन बेंड तथा ग्रंड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बात व होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनि**र्दिष्ट हैं**। 2499 GI 2012

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2012

का.नि.आ. 51.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ख' (गैर तकनीकी) पद भर्ती नियम, 2001, को, जहां तक उसका संबंध आशुलिपिक श्रेणी—I पद से हैं, और रक्षा उत्पादन तथा आपूर्ति विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, आशुलिपिक पद भर्ती नियम, 2000 को जहां, तक उसका संबंध आशुलिपिक श्रेणी—II पद से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोग किया गया है, रक्षा उत्पादन विभाग क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय में वैयक्तिक सहायक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

- ।. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'ख' (वैयक्तिक सहायक) पद भर्ती नियम, 2012 है ।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पद लंड्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन वा वेतनमान वे होंगे। जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं अति.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वें होंगी जो अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में किसिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिर्मिश्न करने की शिक्त.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपाध्य को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा किथिल का सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनकजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

			अनुसूची		<u> </u>
द का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
्वेयक्तिक सहायक (भूतपूर्व आशुलिपिक श्रेणी-। और आशुलिपिक श्रेणी-॥	*148 (2012)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख',		चयन	लागू नहीं होता
	आधार पर । परिवर्तन किया	अराजपत्रित, अनुसचिवीय	, 34,800 रू.		
के पद) ोधे भर्ती किए जाने व	जा सकता है। वाले व्यक्तियों के लि	ाए अपेक्षितं शैक्षिक	सीधे भर्ती किए ज	गाने वाले व्यक्तियों	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
और अन्य अर्हताएं			के लिए विहित 3 अर्हताएं प्रोन्नत व में लागू होंगी या	यक्तियों की दशा	याद काइ छ।
$\frac{1}{(7)}$,		(8)		(9)
लागू नहीं ।			लागू नहीं होता		प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो व

भर्ती की पद्धित : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्तित या प्रतिनियुक्ति का आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रेन्नित या प्रतिनियुक्ति या आमेलन क्रिया जाएस

(10)

50 प्रतिशत प्रोन्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रति-नियुक्तित द्वारा; 50 प्रक्रिक्त प्र

(11)

प्रोन्ति :

वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. में ऐसा आशुलिपिक जिसने नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दस वर्ष

दियाण 1.—इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर आशुलिपिक (भूतपूर्व आशुलिपिक श्रेणं। 1) का पोषक पद धारण करने बालें व्यक्तियों के लिए अहंक सेका पांच तर्व जारी रहेगी।

2.—जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अहीक का पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो, का ज्येक क्वक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा। परन्तु यह तन जनकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक का पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किन्छ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में फ्रोन्वित के लिए, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

ठिलाक 3 : प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अहँक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, । जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित बेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तरकारी मेंड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रस्तिनिव्यक्ति :

केंद्रीय सरकार का ऐसा अभिकारी :

- (क)(i) जो वर्तमान काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या
- (ii) जिसमें नियमित आधार पर इसमें नियुक्ति के पश्चात् वेतन बैंड-1; में वेतनमान 5200-20200 रु. में ग्रेंड चेतन 2#00 रु. में दस वर्ष की सेवा की है; और
- (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अईताएं स्खते हो और कौशल पढीक्षण सन्निस्क
- (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या संस्थान या विश्वविद्यालय से 10+2 या इंटरमीडिएट या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण ।
- (ii) कौशल परीक्षण सन्नियम :
- (क) श्रुतलेखा : 100 शब्द प्रति मिनट की दर पर दस मिनट
- (ख) प्रतिलेखन : कंप्यूटर पर 40 मिनट (अंग्रेज़ी), 55 मिनट (हिन्दी) ।

[PART II -SEC. 4]

(11)

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं. प्रतिनिवृक्ति पर नियुक्ति के विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार. प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे)।

(प्रतिनियुक्ति की अविधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले भारित किसी अन्य काडर बाह्य पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

रिष्यम : प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए, किसी अधिकारी द्वारा । जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठ वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है. पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां पूर्व-पुनरीनिक्षत एक से अधिक वेतनमानों का एक सामान्य ग्रेड वेतन के साथ एक ग्रेड या वेतनमान में विलयन हुआ है और जहां यह फायदा केवल उस पद (पदों) के लिए, जिसके लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान किसी उन्नयन के बिना सामान्य तत्स्थानी ग्रेड है, विस्तारित होगा ।

•	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेव आयोग से परामर्श किया जाएगा
	(13)
में कियार कार्रे	संघ लोक सेवा अधिक से परामर्थ अस्वासक जर
—अध्यक्ष —सदस्य	
—सदस्य	भारआर/पीए/डीजीक्यूए/प्रशा-10/1310/डी(क्यूए)/201 सभाष चंद, अवर स
	—अध्यक्ष —सदस्य

सुभाष चंद, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd July, 2012

S.R.O. 51.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Defence Production and Supplies, Director General of Quality Assurance Group 'B' (Non-Technical) Posts Recruitment Rules, 2001 in so far as they relate to the post of Stenographer Grade-I, and the Department of Defence Production and Supplies, Director General Quality Assurance (Stenographers) Posts Recruitment Rules, 2000 in so far as they relate to the post of Stenographer Grade-II, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Personal Assistant in the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, namely:-

tors and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production Directorate General of Quality Assurance, Group 'B' (Personal Assistant) Post Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. Number of post, classification and pay band and grade pay or pay scale.—The number of said post, its classification. and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule. 4. Disqualification.—No person,—

 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contrasted marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

		· 	SC	HEDULE		
Name of post	Number of post	Classificatio	'n	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recrui
(I)	(2)	(3)		(4)	(5)	
Personal Assistant [Erstwinde Posts of Stempassipher Grade-I and Stenographer Grade-II]	134 (2012) Subject to variation dependent on workload	General Cent Service, Grou Non-Gazette Ministerial	ф'В', I,	Pay Rend 2	Selection	(6) Not applicable
Educational and other of direct recruits	qualifications re	quired for	GREEC CANALI	ther age and the tractions present the tractions will to the tractions of promotions.	rikad A.	Period of probation, if any
(7) Not applicable		<u> </u>	· · · · ·	(8)		(9)
. от присане		<u> </u>		Not applicabl	e .	Two years for promoters
Method of recruitment ecruitment or by prom bsorption and percenta e filled by various meth	otion or by dep	Diam's	in o	est of recruit des from whi	ment by promotion o ch promotion or de	or deputation or absorption,
(10)				<u> </u>	·	
% by promotion failing which by deputation; % by deputation			Promotion: Stenographer with ten years regular service in the pay scale of Rs.5200-20200 with the grade pay of Rs.2400 in pay band-1, rendered after approximent thereto on regular basis.			

(11)

1: The eligibility service for promotion to the post of Personal istent and I continue to be five years for persons holding the feeder post of Stenographer (erstwhile Stenographer Grade-III) on regular basis on the date of notification of these rules.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senies would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility services or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an effect prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

Deputation:

Officers of the Central Government:

- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the present cadre or department; or
- (ii) With ten years service in scale of pay of Rs 5200-20200 with the grade pay of Rs. 2400 in Pay band-1 or equivalent after appointment thereto on regular basis;

- (b) possessing following educational qualifications and skill test
- (i) 10+2 or Intermediate or 12th class pass from a recognized Board or Institution or University.
- (ii) Skill Test Nor. 1s:-
- (a) Dictation: 10 minutes @ 100 words per minute (Hindi or English)
- (b) Transcription: 40 minutes (English), 55 minutes(Hindi) on computers.

(The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.)

Period of deputation including period of deputation in another ex-Endre post held immediately preceding this and same or some other Organisation/Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The meximum age limit for appointment by deputation shall be Not exceeding 56, years' as on the closing date of the receipt of applications.)

(11)

Note: For the purpose of appointment on deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its	Omposition Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
Group 'R' Panarimant I P	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for consipromotion) consisting of: Additional Director General Quality Assurance	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.
Joint Director from Administration Directorate Deputy Director (Administration Directorate)	airman lember emb er

[F. No. A/86320/RR/PA/DGQA/Adm-10/1310/D(QA)/2012] SUBHASH CHAND, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2012

का.नि.आ. 52.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, महानिदेशक क्वालिटी आश्वासन, समूह 'ग', अराजपत्रित अननुसचिवीय पद (ज्येष्ठ फोटोग्राफर श्रेणी-11, फोटोग्राफर श्रेणी-1 और फोटोग्राफर श्रेणी-II) भर्ती नियम, 2001, को, जहां तक उनका संबंध ज्येष्ठ फोटोग्राफर श्रेणी-II से है और गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, रक्षा उत्पादन और आपूर्ति विभाग, समूह 'ख', अननुसचिवीय पद (मुख्य फोटोग्राफर और ज्येष्ठ फोटोग्राफर समूह ।) भर्ती नियम, 2002 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा उत्पादन विभाग क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय में मुख्य फोटोग्राफर और ज्येष्ठ फोटोग्राफर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय समूह 'ख' पद (मुख्य फोटोग्राफर और ज्येष्ठ फोटोग्राफर) भर्ती नियम, 2012 है ।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. लागू होना.—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्ण (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।
- पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—-उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
 - निस्हता.—वह व्यक्ति,—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए क्रिसी व्यक्ति से विवाह किया है,